8/9/23 पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 25.08.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि खतौनी संख्या 223 की आराजी खसरा नम्बर 1346 रकबा 0.48 है0 वाकै ग्राम साखून तहसील दूदू जिला दूदू में स्थित है जिसके प्रार्थी/अपीलांट एवं अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 20 लगायत 22 खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 20 लगायत 22 अपीलार्थी के भाई है एवं अपीलार्थी के साथ ही परन्तु दावा दायरी की दिनांक को बाहर गए हुए होने से तरतीबी पक्षकार कायम किए गए। उक्त ग्राम की आबादी के लगवा है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 19 ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है एवं राजीनतिक संरक्षण प्राप्त कर आये दिन प्रार्थी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते करते है उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। दिनांक 02.08.2023 को उक्त व्यक्ति जे0सी0बी0 मशीन लाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में जबरन नीवं खोदने का प्रयास किया उन्हे ऐसा करने से रोके जाने हेतु वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। दिनांक 16.08.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रीलिफ नही दी जाती है तो प्रार्थना पत्र खारिज ही माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि साधारणतः राजस्व न्यायालयों द्वारा यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रथम तारीख पेशी पर ही जारी कर दिया जाता है इसके अतिरिक्त आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि परिस्थितियों के अनुरूप प्रथम तारीख पेशी पर ही न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करना चाहिए परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में यह स्पष्ट था कि यदि स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता है तो प्रश्नगत आराजी में जे.सी.बी. चलाई जाकर आराजी के भौतिक स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01लगायत 19 को अपीलार्थी की आराजीयात पर अतिक्रमण करने हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया। जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी का वाद एवं उक्त अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 को पाबंद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के क ब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जानें के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद के संदर्भ में देखा गया प्रश्नगत आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू प्रकरण संख्या 35/2023 मुकेश बनाम जयनारायण दिनांक 16.8.2023 का है। इसके अनुसार " आज यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

आर0टी0एक्ट व 151 जा0दी0 रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर दिनांक 3.10.2023 को पेश हो "। उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 21.8.2023 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम साखुन सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 23 के अनुसार विवादित भूमि अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट 20 से 22 के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। अपील मीमो के अनुसार दिनांक 2.8.2023 को रेस्पोडेंट द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में जबरन नीवें खोदने का प्रयास किया गया जिस बाबत अपीलांट प्रार्थी द्वारा 16.8.2023 को वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था मगर दिनांक 16.8.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जाने के बाद कोई आदेश जारी नहीं किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को तलबी हेतु नोटिस जारी कर आगामी दिनांक 3.10.2023 को पेशी तय की गई। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान 2021 आरबीजे ए 2022, आर0आर0डी 1985 पेज 351 प्रस्तुत किए। वर्तमान अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं कर मात्र नोटिस जारी करने हेतु निर्देश दिए हैं। वकील अपीलांट का मानना है कि निर्णय नहीं कर सिर्फ नोटिस जारी किया जाना भी आदेश की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आदेश जारी किया जाए। आर0एल0डब्ल्यू 2017(2) गंगा बनाम राजस्व मण्डल अजमेर पेज 935 में यह प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 212, 88, 188 एवं धारा 225– वाद के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन दायर हुआ– विचारण न्यायालय ने आवेदन पर कार्यवाही नहीं की – स्टे आवेदन के साथ आर0ए0ए के समक्ष धारा 225 के तहत अपील दायर की– अपीलीय न्यायालय ने यथा स्थिति कायम रखने हेतु पक्षकारों को निर्देश दिए– राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण के तहत आर0ए0ए द्वारा दिए गए स्टे पर एकपक्षीय स्टे लगाया– अभिनिर्धारित –आदेश अपास्त किया और तीन माह के भीतर आवेदन विनिश्चत करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश दिए। याचिका निरस्त की।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में संबंधित प्रकरण में विचारण न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत वाद पत्र के साथ धारा 212 के आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी इसमें स्टे आवेदन के साथ आर0ए0ए0 के समक्ष धारा 225 के तहत अपील दायर की गई थी। जिसमें अपीलीय न्यायालय ने यथास्थिति कायम रखने हेतु प्रक्षकरों को निर्देश दिए थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरिक्ष्ज्ञण के तहत आर0ए0ए द्वारा दिए गए स्टे पर एकपक्षीय स्टे लगाया था जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में प्रार्थना की जिसमें उनके द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश दिया तथा राजस्व मण्डल के आदेश को निरस्त किया और तीन माह के अंदर 212 के आवेदन पर निर्णय करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश दिया।

वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति पाई जाती है उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा 212 के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं जारी किया जाकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया जो उचित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी दूदू को उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश जारी करना चाहिए था। रेस्पोडेंट द्वारा जेसीबी चलाकर नीव खोदने का काम का प्रयास किया गया है। विवादित भूमि की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय यह उचित समझता है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू को दो सप्ताह में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र रूप से मेरिट पर निर्णय/आदेश करने हेतु निर्देशित करता है। निर्णय/आदेश करने तक मौके कि यथास्थिति बनाई रखी

8.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

जाए। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8.9.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प बूंदी

CamScanner